

16

पत्र सं०-विधि-4(2)/सा०पत्रा०/2023-24/

400

/राज्य कर।

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 सितम्बर, 2023

महोदय,

कृपया शासन के पत्र सं०-1067/11-2-2023-9(19)/17,टी०सी०-I, दिनांक 25-07-2023 के क्रम में मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं०-विधि-4(2)/सा०पत्रा०/2023-24/307/राज्य कर, दिनांक 14-08-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस (29 जून) को राज्य सरकार द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

तत्क्रम में शासन के पत्र सं०-3032/चार-2023, दिनांक 14-09-2023 द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस (29 जून) को राज्य सरकार द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में मनाए जाने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः शासन के पत्र सं०-3032/चार-2023, दिनांक 14-09-2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ई-मेल के माध्यम से)

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर आयुक्त (प्रशासन)/(लेखा), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त की प्रति विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

40 29/9/23

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

अ.अ.अ.अ.

A
03/10/23B.C.(I.T.)
03/10/23

6039

संख्या- 3032 /चार-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
राज्य कर विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

2. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ 0 प्र 0

जवाहर भवन, लखनऊ।

अपर आयुक्त

20.09.2023

1999

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2023

विषय- राज्य सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गांव में 29 जून, 1547 को ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। वह एक योद्धा, प्रसिद्ध सेनापति और महाराणा प्रताप के करीबी थे। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मातृ-भूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण धन-सम्पदा अर्पित कर दी, जिससे महाराणा प्रताप ने पुनः सैन्य शक्ति संगठित करके मुगल शासकों को पराजित किया और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दानवीर भामाशाह के

C. (वि.स.)
प.स. 20.09.23

प.स. 20.09.23

26/9/23

26/9

560

जन्मदिवस 29 जून को राज्य सरकार द्वारा "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में जन सहभागिता के साथ निम्नवत मनाये जाने का निर्णय लिया गया है:

1. दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस 29 जून को प्रत्येक वर्ष "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में मनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय, जिलास्तरीय एवं तहसील स्तरीय आयोजन किये जायेंगे। राज्य स्तरीय आयोजन हेतु संस्कृति विभाग नोडल विभाग एवं राज्य कर विभाग आयोजककर्ता विभाग होगा। राज्य कर विभाग द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों (मण्डल/ जनपद आदि) में समारोहपूर्वक व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जायेगा। समस्त जिलो से सम्बंधित जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
2. व्यापारी कल्याण दिवस की सार्थकता के दृष्टिगत राज्य कर विभाग/ एम० एस०एम०ई० /नगरीय विकास विभाग /ग्राम्य विकास विभाग /औद्योगिक विकास विभाग अपने उद्यमियों, व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा इस अवसर पर ओ० डी० ओ० पी० के स्टाल लगाते हुए उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय का कार्य किया जाये तथा प्रदर्शनियां भी लगवाएं।
3. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों का चयन करते हुए उनका सम्मान किया जाये। प्रत्येक जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया जाये।
4. सूचना विभाग द्वारा, राज्य सरकार की व्यापारियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी तैयार करते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित की जाये ताकि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ समस्त व्यापारी जन तक आसानी से पहुँच सके।
5. नगर विकास विभाग इस संबंध में संचालित अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अलग से स्टाल लगायेंगे।
6. इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा राज्य कर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दानवीर भामाशाह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी प्रदर्शनी लगाने/ व्यापारियों के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने एवं आवश्यक संगीत तथा सांस्कृतिक आयोजन आदि भी कराये जायेंगे।

महान दानवीर भामाशाह की जीवन - यात्रा से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन सभी कार्यक्रम स्थलों पर किया जाये, इस हेतु अभिलेखों की साफ्ट कापी मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये तथा सूचना विभाग की प्रदर्शनी के साथ सूचना विभाग द्वारा इसे भी प्रदर्शित किया जाये।

7. "व्यापारी कल्याण दिवस" के अवसर पर लखनऊ में बृहद आयोजन के अन्तर्गत उद्घाटन एवं समापन के अवसर पर पुरस्कारों एवं सम्मानों की योजना सबसे ज्यादा 'कर' देने वाले व्यापारी को 'भामाशाह पुरस्कार' दिया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उन महानुभावों को चिन्हित किया

जाये, जिन्होंने प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं, ऐसे महानुभावों को कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये। मुख्य आयोजन का सूचना विभाग के माध्यम से समस्त जिलों में लाइव प्रसारण कराया जायेगा।

8. लखनऊ के राज्य स्तरीय आयोजनों हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹0 30.00 लाख, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा ₹0 30.00 लाख, एम०एस०एम०ई० विभाग द्वारा ₹0 20.00 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ₹0 20.00 लाख समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹0 20.00 लाख एवं संस्कृति विभाग द्वारा ₹0 50.00 लाख की सहयोग राशि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के खाता संख्या- 5866020100001111, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शुगर कार्पोरेशन ब्रांच, लखनऊ आई०एफ०एस०सी० कोड - UBIN0558664 में जमा करायी जायेगी। इस धनराशि से नोडल के रूप में संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक आयोजन, प्रदर्शनियाँ अन्य विविध गतिविधियाँ वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।
9. "व्यापारी कल्याण दिवस"का आयोजन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में शीघ्र ही प्रदेश सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उक्त आयोजन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु व्यापक तैयारी करा लें।
10. "व्यापारी कल्याण दिवस"के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल <https://culturalevents.in> पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। कृपया उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश में "व्यापारी कल्याण दिवस"के सफल आयोजन हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र
Date: 14-09-2023 20:55:03
Reason: Approved


(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग/खादी एवं ग्रामोद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग/नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त सम्बंधित विभाग।
7. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/श्रम/आवास ।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/ निदेशक पर्यटन ।
10. पुलिस आयुक्त, लखनऊ
11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12. नगर आयुक्त, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ।
14. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


14/09/23.
(मुकेश कुमार मिश्रा)

प्रमुख सचिव

1.7